

स्पीड पोस्ट द्वारा

मिसिल संख्या पृष्ठम/29/150/2017-आरटीआई

भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

पृथ्वी भवन, आई एम डी परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली,
दिनांक 09/01/2018

सेवा में,

श्री विलास शांताराम कल्थोवे,
न्या बं क्र 271, मुंबई मध्यवर्ती कारागृह
साने गुरुजी मार्ग, मुंबई 400011

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री विलास शांताराम कल्थोवे, न्या बं क्र 271, मुंबई मध्यवर्ती कारागृह साने गुरुजी मार्ग, मुंबई 400011 को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु।

महोदय

कृपया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन दिनांक 23/10/2017 के संदर्भ में अवलोकन करें।

2. मंत्रालय के संबंधित अधिकारी द्वारा आपकी सूचना पत्रांक एमओईएस/7/28/08 प्रोटोकॉल दिनांक 08/01/2018 के ज़रिये उपलब्ध कराई है, जिसकी प्रति आपको सूचनार्थ संलग्न है।

3. यदि आप इस जवाब के विरुद्ध अपील करना चाहते हैं, तो आप इस पत्र के प्राप्त होने से 30 दिनों के अन्दर मंत्रालय के निदेशक तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को निम्न पते पर अपील कर सकते हैं:-

श्री रिशि कुमार,
निदेशक एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी,
पृथ्वी भवन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय,
भारतीय मौसम विभाग परिसर,
लोधी रोड, नई दिल्ली -3

भवदीय,

२.८५

(इ. हक)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं वैज्ञानिक सी'

दूरभाषन: 24669521

सूचनार्थ प्रतिलिपि:-

- 1 निदें & प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 2 डॉ एन खरे, वैज्ञानिक 'G' पारदर्शिता अधिकारी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 3 पीएस, संयुक्त सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, नई दिल्ली।

✓ कानूनी छाप्रापाति, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय।

फैक्स : 91-11-24629779
फोन:

भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

संख्या: एमओईएस/7/28/08-प्रोटोकॉल

नई दिल्ली, दिनांक: जनवरी, 2018

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत श्री विकास शांतराम कालधोवे, मुम्बई द्वारा मांगी गई^{र्ड}
सूचना।

कृपया उपरोक्त विषय पर आरटीआई अनुभाग के दिनांक 5/12/2017 के कार्यालय ज्ञापन संख्या: एमओईएस/29/150/2017-आरटीआई का संदर्भ में। इस संबंध में पैरावार उत्तर निम्नवत है:

- (1) चार प्रकार के पुरस्कार हैं जो इस मंत्रालय द्वारा वार्षिक आधार पर दिये जाते हैं।
 - i. आजीवन उत्कृष्टता पुरस्कार ii. चार राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार: वायुमंडल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भूविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पोलर विज्ञान एवं क्रायोस्फीयर तथा iv. दो युवा अनुसंधान पुरस्कार प्रत्येक में एक-एक पुरस्कार दिया जाता है।
- (2) एवं (3) ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।
- (4) पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी प्रणाली विज्ञान पुरस्कारों के नामांकन हेतु विनियमन की प्रति संलग्न है।

(रिशी कुमार)
निदेशक (प्रोटोकॉल)

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, एमओईएस

Its forward to the Applicant
S.L. Mehta

HJV.
8/1/19

पिछले राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता

पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के क्षेत्र में आजीवन उत्कृष्टता पुरस्कार
(वर्ष 2013 से प्रारंभ)

वर्ष 2013	प्रो. रोदम नरसिम्हा
वर्ष 2014	प्रो. विनोद के. गौड़
वर्ष 2016	प्रो. सुलोचना गाडगिल

राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार

वर्ष 2004	डॉ. एस. जैड कासिम
वर्ष 2005	प्रो. एम. रविन्द्रन
वर्ष 2006	डॉ. बी.एल. सोम्याजुलु
वर्ष 2007	डॉ. ए.ई. मुथुनयागाम
वर्ष 2008	डॉ. हर्ष के. गुप्ता
वर्ष 2009	डॉ. जॉर्ज जोसफ
वर्ष 2010	प्रो. एस. कृष्णास्वामी
वर्ष 2011	डॉ. बी.एल. दीक्षातुलु
वर्ष 2012	डॉ. सतीश रामनाथ शेत्ये
वर्ष 2013	डॉ. एस.डब्ल्यू.ए. नक्वी
वर्ष 2014	प्रो. टी. बालासुब्रामनियन
वर्ष 2015	प्रो. सी.पी. वेंधन
वर्ष 2016	डॉ. एम. दिलीप कुमार

राष्ट्रीय वायुमंडलीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार

(वर्ष 2007 से प्रारंभ)

वर्ष 2007	श्री डी.आर.एस. इक्का
वर्ष 2008	प्रो. सुलोचना गाडगिल
वर्ष 2009	प्रो. शिशिर कुमार दुबे
वर्ष 2010	
वर्ष 2011	प्रो. आर.एन. केशवमूर्ति
वर्ष 2012	प्रो. जे. श्रीनिवासन
वर्ष 2013	प्रो. यू.सी.मोहन्ती
वर्ष 2014	प्रो. भूपेन्द्र नाथ गोस्वामी
वर्ष 2015	प्रो. ओ.पी.शर्मा
वर्ष 2016	प्रो. पी.वी.जोसफ

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

राष्ट्रीय भूविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार
(वर्ष 2013 से प्रारंभ)

वर्ष 2013	डॉ. वाई.पी. डिमरी
वर्ष 2014	डॉ. ऋषि नारायण सिंह
वर्ष 2015	डॉ. जी.आर. रविन्द्र कुमार
वर्ष 2016	प्रो. श्याम सुन्दर राय

राष्ट्रीय ध्रुव विज्ञान एवं क्रायोस्फीयर पुरस्कार
(वर्ष 2013 से प्रारंभ)

वर्ष 2013	डॉ. रसिक रविन्द्र
वर्ष 2014	डॉ. अनिल विष्णुपंत कुलकर्णी
वर्ष 2015	श्री अरूण चतुर्वेदी
वर्ष 2016	डॉ. एस. शिवाजी

युवा अनुसंधानकर्ता/उपलब्धि प्राप्तकर्ता (अचीवर) पुरस्कार
(वर्ष 2013 से प्रारंभ)

वर्ष 2013	डॉ. नीलांजन साहा
वर्ष 2014	डॉ. विजयकुमार एस. नैयर एवं डॉ. रामबिचार सिंह यादव
वर्ष 2015	डॉ. आशीश एन. डोंगरे
वर्ष 2016	डॉ. अनूप कुमार मिश्रा डॉ. कुणाल चक्रवर्ती

राष्ट्रीय पृथ्वी प्रणाली विज्ञान पुरस्कारों को अधिशासित करने वाले विनियम

1. आमुख

- 1.1 पृथ्वी के विभिन्न घटकों जैसे वायुमंडल, सागर, हिमांकमंडल और भूमंडल के बीच सुदृढ़ संबंध की महत्ता को स्वीकार करते हुए दिनांक 12 जुलाई, 2006 की राष्ट्रपति की अधिसूचना की मार्फत भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे, राष्ट्रीय मध्यम दूरी मौसम पूर्वानुमान केन्द्र, नोएडा तथा भूकंप जोखिम मूल्यांकन केन्द्र, दिल्ली को इसके नियंत्रण में शामिल करते हुए, इसका नाम बदलकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कर दिया गया था। इसके बाद जनवरी, 2007 में पृथ्वी आयोग का गठन किया गया तथा अक्तूबर, 2007 में पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ईएसएसओ) की स्थापना की गई।
- 1.2 पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ईएसएसओ), पृथ्वी मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए एक कार्यपालक सहायक के रूप में कार्य करता है। यह पृथ्वी विज्ञान की चार शाखाओं यथा (i) समुद्र विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी (ii) वायुमंडलीय एवं जलवायु विज्ञान (iii) भूविज्ञान तथा (iv) ध्रुव विज्ञान एवं हिमांकमंडल से संबंधित है। ईएसएसओ मौसम, जलवायु एवं खतरों के पूर्वानुमान को सुधारने के लिए तथा पृथ्वी प्रणाली की परिवर्तनीयता को समझने के लिए भूमि प्रक्रियाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं का समग्रता से समाधान कर रहा है।
- 1.3 ईएसएसओ/एमओईएस मौसम, जलवायु एवं खतरों (वायुमंडल, समुद्र, ठोस भूमि) से संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं, भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजैड) समेत गहन समुद्र में संसाधनों की खोज और ध्रुवीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक अन्वेषणों के संबंध में कार्य करता है।
- 1.4 पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध वैज्ञानिकों/अभियंताओं द्वारा किए गए प्रमुख वैज्ञानिक योगदानों को देय मान्यता तथा मंच उपलब्ध कराने के लिए तथा पृथ्वी प्रणाली विज्ञान की मुख्यधारा में आने के लिए युवा अनुसंधानकर्ताओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर विचार करने के लिए, ईएसएसओ ने राष्ट्रीय पृथ्वी प्रणाली विज्ञान पुरस्कारों की स्थापना की है।
- 1.5 राष्ट्रीय पृथ्वी प्रणाली विज्ञान पुरस्कार पृथ्वी विज्ञान स्थापना दिवस समारोह यानी 27 जुलाई को प्रति वर्ष दिए जाएंगे।
- 1.6 पृथ्वी विज्ञान के किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला भारत का कोई भी नागरिक जो कि व्यावसायिक रूप से योग्य वैज्ञानिक/अभियंता/तकनीकीविद्/ शिक्षाविद् है, वह इसके लिए पात्र है।
- 1.7 राष्ट्रीय पृथ्वी प्रणाली पुरस्कारों के लिए 01 आजीवन उत्कृष्टता पुरस्कार, 04 राष्ट्रीय पुरस्कार और 02 युवा अनुसंधानकर्ता पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित किए जाते हैं। ये पुरस्कार प्रति वर्ष प्रदान किए जाएंगे। आजीवन उत्कृष्टता पुरस्कार में 5,00,000 रुपए नकद, राष्ट्रीय पुरस्कार में 1,00,000 रुपए नकद तथा युवा अनुसंधानकर्ता पुरस्कार में 50,000 रुपए नकद प्रत्येक पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं।

1.8 ये पुरस्कार नामित (तों) की उपलब्धियों की समग्रता पर उचित विचार करते हुए उन लोगों को प्रदान किए जाएंगे जिन्होंने तलाश-सह-चयन समिति की राय में अपने प्रयास के विशिष्ट क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया हो।

2. पुरस्कारों की प्रकृति

पृथ्वी प्रणाली विज्ञान पुरस्कार नीचे दर्शाए अनुसार तीन श्रेणियों में प्रदान किए जाएंगे:

- (i) पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के क्षेत्र में आजीवन उत्कृष्टता पुरस्कार;
- (ii) राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार;
- (iii) युवा अनुसंधानवेत्ता पुरस्कार।

3. आजीवन उत्कृष्टता पुरस्कार (एक)

आजीवन उत्कृष्टता पुरस्कार उस उत्कृष्ट वैज्ञानिक / इंजीनियर/ प्रौद्योगिकीविद/शिक्षाविद को प्रदान किया जाएगा जिसने पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में सतत और महत्वपूर्ण योगदान देते हुए आपवादिक रूप से महती आजीवन उपलब्धियां प्राप्त की हो।

4. राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार (चार)

राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार समुद्र विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, वायुमण्डलीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भू- विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा ध्रुवीय विज्ञान और हिमांकमण्डल के क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से सरहनीय योगदान देने हेतु वैज्ञानिकों/इंजीनियरों/ प्रौद्योगिकीविदों/ शिक्षाविदों को प्रदान किए जाएंगे।

5. युवा अनुसंधानवेत्ता पुरस्कार (दो)

युवा अनुसंधानवेत्ता पुरस्कार पृथ्वी प्रणाली विज्ञान से संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य हेतु युवाओं में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार वर्ष के 31 दिसंबर को 35 वर्ष से कम आयु के अनुसंधानवेत्ताओं को प्रदान किए जाएंगे।

6. राष्ट्रीय पृथ्वी प्रणाली विज्ञान पुरस्कारों हेतु अर्हता

- (क) भारत का कोई भी नागरिक जो एक व्यावसायिक रूप से अर्हता प्राप्त वैज्ञानिक/ इंजीनियर/प्रौद्योगिकी/शिक्षाविद हो जिसकी पुरस्कार प्रदान किए जा रहे क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदानों के साथ सराहनीय पृष्ठभूमि हो वह राष्ट्रीय पृथ्वी प्रणाली विज्ञान पुरस्कार हेतु पात्र होगा।
- (ख) यह पुरस्कार भारत के अधिकांश भागों में किए गए कार्य के जरिये दिए गए योगदानों के आधार पर प्रदान किया जाएगा।
- (ग) युवा अनुसंधानवेत्ता पुरस्कारों के सिवाय किसी में भी ऊपरी आयु सीमा नहीं है।

7. पुरस्कार राशि

- (क) आजीवन उत्कृष्टता पुरस्कार में 5,00,000/- रुपए का एक नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र तथा एक ट्रॉफी प्रदान की जाएगी;
- (ख) राष्ट्रीय पुरस्कारों में प्रत्येक को 1,00,000/- रुपए का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र तथा एक ट्रॉफी प्रदान की जाएगी; तथा
- (ग) युवा अनुसंधानवेत्ता पुरस्कार में प्रत्येक को 50,000/- रुपए नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र तथा एक ट्रॉफी प्रदान की जाएगी।

8. नामांकन

- 8.1 पुरस्कारों हेतु नामांकन नीचे दर्शाया गए निर्दिष्ट प्राधिकरणों के जरिए निम्नलिखित संगठनों में से किसी एक के द्वारा प्रतिवर्ष अग्रेषित किए जा सकते हैं:
- (क) केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग (नामांकन सचिव/ महानिदेशक/अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित किए जाएंगे);
- (ख) अखिल भारतीय चरित्र की वैज्ञानिक/व्यावसायिक/ अकादमिक सोसाइटियां (नामांकन अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित किए जाएंगे);
- (ग) अकादमिक और अनुसंधान संस्थान, उत्कृष्टता केन्द्र, इत्यादि(नामांकन मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा समकक्ष द्वारा प्रस्तावित किए जाएंगे);
- (घ) राज्य सरकारें (नामांकन राज्य के विज्ञान और प्रौद्योगिकी सचिव द्वारा प्रस्तावित किए जाएंगे);
- (ङ.) केन्द्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (नामांकन अध्यक्ष/सीएमडी द्वारा प्रस्तावित किए जाएंगे);
- (च) आजीवन उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी उत्कृष्ट वैज्ञानिकों/ प्रौद्योगिकीविदों/ शिक्षाविदों को नामित कर सकते हैं;
- (छ) तलाश-सह-चयन समिति भी उत्कृष्ट वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों/शिक्षाविदों को नामित कर सकती है।
- (ज) सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी युवा अनुसंधानवेत्ता पुरस्कार हेतु उम्मीदवार को नामित कर सकते हैं,

- 8.2 किसी विशेष साल में प्राप्त हुए नामांकन तीन वर्षों तक वैध रहेंगे उदाहरणार्थ वर्ष 2013 में प्राप्त हुए नामांकनों पर वर्ष 2014 तथा 2015 में भी विचार किया जाएगा।

9. प्रायोजक संगठनों हेतु अनुदेश

- (क) सामन्यतः प्रत्येक संगठन किसी भी एक क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति को नामित करने का पात्र होगा। विशेष मामले में एक से अधिक नामांकन भी अग्रेषित किए जा सकते हैं, बशर्ते कि प्रायोजक प्राधिकरण अभ्यर्थी की लब्धता के आधार पर ऐसा किए जाने के कारणों को पूर्णतः न्यायोचित ठहरा सकें। बहरहाल, ऐसी अनुसंधाओं को स्वीकार किया जाना प्रायोजक प्राधिकरण को सूचना दिए बिना, तलाश-सह-चयन समिति के निर्णय के विषयाधीन होगा;

- (ख) वे संगठन जहां पर बहु-विषयात्मक कार्य किए जा रहे हैं वे अपने कार्यकलाप के प्रत्येक क्षेत्र में एक नामांकन कर सकते हैं बशर्ते आजीवन उत्कृष्टता पुरस्कार हेतु प्रत्येक नामांकनकर्त्ता संगठन केवल एक अभ्यर्थी को प्रायोजित करेगा;
- (ग) कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे एक बार पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है वह व्यक्ति उसी श्रेणी में दूसरी बार पुरस्कार हेतु पात्र नहीं होगा। उसे केवल उच्चतर श्रेणी में पुरस्कार दिए जाने पर विचार किया जाएगा;
- (घ) किसी भी क्षमता से स्वयं का नामांकन किया जाना स्वीकार्य नहीं होगा तथा ऐसे आवेदन पत्रों को अवैध माना जाएगा;
- (ङ) नामांकन, केवल संबंधित प्रायोजक संगठनों के निर्दिष्ट प्राधिकारियों के हस्ताक्षर से ही अग्रेषित किए जाने चाहिए। अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन पत्र को अस्वीकार कर दिया जाएगा;
- (च) पूर्व-निर्धारित फॉर्मेट के अलावा अन्य किसी फॉर्मेट में किए गए नामांकनों तथा निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों तथा अपूर्ण नामांकनों को प्रायोजक संगठनों को बिना कोई सूचना दिए अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा;
- (छ) प्रायोजक संगठन के निर्दिष्ट प्राधिकारी को आवेदन अग्रेषित करते समय अपनी अभ्युक्ति में यह प्रमाणित करना होगा कि वह नामिती द्वारा किए गए/दावा किए गए कार्य से सहमत है;
- (ज) प्रायोजक संगठन के लिए नामिती का आवेदन अग्रेषित करते समय नामिती द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की प्रामाणिकता को प्रमाणित करना आवश्यक है। प्रायोजक संगठन को यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि वह ऐसे किसी भी नामिती जिसने गलत सूचना प्रस्तुत की है, के विरुद्ध उचित और सख्त कार्रवाई प्रारंभ करे।

10. चयन प्रक्रिया

- (क) पुरस्कारों के चयन के लिए संस्तुति करने हेतु तलाश-सह-चयन समिति का गठन कर लिया गया है।
- (ख) तलाश-सह-चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा सभी के लिए बाध्यकारी होगा।
- (ग) प्रयोजकों की सिफारिशों पर किसी भी अभ्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (घ) चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की सिफारिश करने की स्थिति में नामिती को स्थायी रूप से आयोग्य कर दिया जाएगा।

11. अनुसूची

किसी विशेष वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले कलैण्डर वर्ष पर आधारित होगा। पुरस्कारों हेतु समय -सारणी निम्नानुसार होगी:

- (क) राष्ट्रीय पृथ्वी प्रणाली विज्ञान पुरस्कारों हेतु नामांकन आमंत्रित करने हेतु परिपत्र प्रतिवर्ष 20 जनवरी अथवा इससे पूर्व अथवा अध्यक्ष-ईएसएसओ द्वारा निर्धारित किसी अनुवर्ती तिथि को जारी किया जाएगा;

(ख) नामांकन (निर्धारित प्रपत्र में) जिसमें नामित व्यक्ति द्वारा पुरस्कार के पूर्व वर्ष से 31 दिसंबर तक (आकलन की तिथि) प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों, के बारे में जानकारी हो, संयुक्त सचिव (पृथ्वी विज्ञान), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कमरा सं 102, प्रथम तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई -11003 दिल्ली को प्रत्येक वर्ष की अधिकतम 30 अप्रैल तक पहुंच जानी चाहिए।

12. पुरस्कार समारोह

पुरस्कार, प्रतिवर्ष 27 जुलाई को आयोजित किए जाने वाले पृथ्वी विज्ञान स्थापना दिवस के अवसर पर दिएं जाएंगे।

13. सचिवालय

स्कीम के कार्यान्वयन और समितियों के लिए सचिवालय, प्रोटोकोल प्रभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, कमरा सं 105, प्रथम तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड नई दिल्ली-110003 होगा।

14. नामांकन प्रपत्र

राष्ट्रीय पृथ्वी प्रणाली विज्ञान पुरस्कारों के नियम और नामांकन प्रपत्र अनुलग्नक में दिए गए हैं। इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वेबसाइट www.moes.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।

अनुलग्नक

(पासपोर्ट फोटो)

नामांकन प्रपत्र

पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के क्षेत्र में आजीवन उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए नामांकन

1. नामित व्यक्ति का नामः

2. पत्राचार का पताः

(क) कार्यालय -----

दूरभाष सं -----

फैक्स सं -----

(ख) आवासीय -----

3. जन्म की तिथि-----

4. शैक्षणिक अर्हता (स्नातक डिग्री से)

5. संबंधित क्षेत्र में नामित व्यक्ति द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण/ अभूतपूर्व योगदान (लगभग 1000 शब्दों में)

6. हस्ताक्षर, मोहर और दिनांक के साथ प्रस्तावकर्ता का नाम और पताः

अनुलग्नक

(पासपोर्ट फोटो)

नामांकन प्रपत्र

1. पुरस्कार के लिए नामांकन (कृपया चिन्हित करें)
 - समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी; वायुमंडलीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी; भू विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी; ध्रुवीय विज्ञान और हिमांकमंडल के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार
 - पृथक्षी प्रणाली विज्ञान के क्षेत्र में युवा अनुसंधानकर्ता पुरस्कार
2. नामित व्यक्ति का नाम:

3. पत्राचार का पता
(क) कार्यालय -----

(ख) दूरभाष सं ----- फैक्स सं -----
(ख) आवासीय -----

4. जन्म तिथि -----
5. शैक्षणिक अर्हता (स्नातक डिग्री से)

6. संबंधित क्षेत्र में नामित व्यक्ति द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण/ अभूतपूर्व योगदान (लगभग 500 शब्दों में)
7. व्यावसायिक उपलब्धियाँ:
 - (i) पूर्ववर्ती धारित पद (कालक्रमानुसार)
 - (ii) प्रकाशन की सूची
 - (iii) पेटेंटों की सूची
 - (iv) लिखी किताबों और समीक्षा की सूची
 - (v) जीते गए पुरस्कारों का विवरण
 - (vi) शैक्षणिक/ सोसाइटियों/ व्यावसायिक निकायों का विवरण
 - (vii) किए गए योगदान के प्रभाव का आकलन (पुरस्कार के रूप में)
 - (viii) विचारार्थ कोई अन्य संबंधित सूचना
8. प्रायोजक संगठन/ प्राधिकारी की अभ्युक्तियाँ:
9. हस्ताक्षर, मोहर और तिथि के साथ नामांकन कर्ता का नाम और पता: